सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आश्विन, 1948 (श०)

संख्या - 519 राँची, बुधवार, 21 अक्टूबर, 2026 (ई०)

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संकल्प

9 सितम्बर, 2026

संख्या-1888--

झारखण्ड राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में संशोधन के संबंध में।

राज्य में 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी, जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते है, को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु झारखण्ड राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिटकार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र/संस्थान जैसे-Engineering, Medical, Law, Research, IITs, IIMs आदि में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत 10/12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक तथा अर्हत्ता प्राप्त विद्यार्थी को बैंकों से जोड़कर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है।

2. इच्छुक तथा अर्हत्ता प्राप्त विद्यार्थी को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3/यो0 1-02/2022 (उ0शि०) 220/ बजट, दिनांक-14.11.2022 के माध्यम से राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना स्वीकृत किया गया है। तदुपरांत संकल्प संख्या-3/यो0 1-02/2022 (उ0शि0) 103/बजट, दिनांक-01.08.2023 के माध्यम से गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की गई है।

3. उक्त विस्तृत मार्गदर्शिका में अधिकसे-अधिक विद्यार्थियों को लाभ देने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प-1607, दिनांक-14.10.2024 के माध्यम से आवश्यक संशोधन किया गया है। उक्त योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 2600 विद्यार्थियों को रूपये 264 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है तथा रूपये 65 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है।

4. योजना के क्रियान्वयन के क्रम में पाया गया कि योजना के मार्गदर्शिका में कतिपय संशोधन की आवश्यकता हैं ताकि योजना का सुचारू कार्यान्वयन किया जा सके तथा अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्चयन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक-29.01.2026 की बैठक में योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु योजना की विस्तृतमार्गदर्शिका के कतिपय प्रावधानों में संशोधन की अनुशंसा की गई है। तदनुसार योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन किया जाना है।

5. उक्त के आलोक में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका में निम्न संशोधन किया जाता है-

(i) प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति :-

योजना के सचालन के क्रग में पाया गया कि अनेक शैक्षणिक संस्थानों में प्रारंभिक प्रवेश की प्रक्रिया बहुत कम अवधि लगभग 10-15 दिनों के अन्दर पूर्ण हो जाती है। ऐसे में अधिकांश मामलों में इस अल्प अवधि के अन्दर बैंकों द्वारा ऋण का वितरण (Disbursement) संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को Institutional Expense के रूप में देय राशि केवल संबंधित संस्थान के Bank Account में ही वितरित की जाती है एवं विद्यार्थियों के द्वारा Institutional Expense मद में स्वयं जमा की गयी फीस की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान योजना में नहीं है। सभी प्रमुख बैंकों के छात्र ऋण योजनाओं में प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष में भुगतान की गई फीस की एक बार (One Time) प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

अतः गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत भी प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष में भुगतान की गई फीस की एक बार (One Time) प्रतिपूर्ति की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :-

Section	**Existing Provision**	**Revised Provision**
Chapter 1 4(iii)	New Section	Notwithstanding anything contained in this Section, reimbursement of 1St Semester Institutional Fees, Where fee is charged on semester basis or 1St Year Institutional Fees, Where fee is charged on yearly basis one-time reimbursement of such fees paid by the student shall be allowed in the Bank Account of the student, if

		(a) Payment of Such Institutional fees has been made as per the fee structure provided by the Higher Education Institution , and (b) Claim for such fee reimbursement has been submitted within 6 months of its occurrence.
Chapter 1 4(iv)	New Section	All expensed made under the above-mentioned section shall be allowed only once during the entire duration of the loan and booked as Institutional Expense under the loan. The request for reimbursement shall be raised by the student on the Web Portal with the proof of payment, which shall be verified by the MLI. On Successful verification and approval, the MLI shall upload the disbursement certificate along with the details of loan disbursement against the request. All reimbursements shall made only to the Bank Account provided by the student on the Web Portal.
Chapter 1 4(vii)	New Section	**Reimbursement of 1st Semester or 1st Year Institutional Fees** (a) Claim for reimbursement of fees shall only be raised by the student on the Web Portal within the allowed time period, as per the fee structure prescribed by the Higher Education Institution and with a valid proof of payment (b) The MLI shall verify the details of all the expenditure for fulfilment of conditions prescribed in the Scheme (c) If the said claim is found to be eligible by the MLI in accordance with the norms mentioned in the

		Scheme Guidelines, the MLI Shall approve the request and disburses the amount directly into the Bank account of the student provided in the application form, (d) MLI uploads the disbursement certificate on the Web Portal, and the loan liability is updated on the Web Portal (e) In case of non-fulfilment of necessary conditions, the MLI may ask for additional documents or reject the student's request on the Web Portal after Stating reasons for such rejection
Chapter 1 8(i)(j)	New Sub-Section	The Student shall submit the claim along with all required documents for such reimbursement claims related to payment of 1st Semester institutional fees, where fee structure is on semester basis or 1st Year institutional fees, where fee structure in on yearly basis, as required.
Chapter 1 17(i)	The Institutional expense will be credited directly to the designated account of the Institution concerned in case of payment of course fees and other fees related to the institution as per the institution's payment schedule uploaded by the student on the protal.	The Institutional expense will be credited directly to the designated account of the Higher Education Institution concerned in case of payment of course fees and other fees related to the Institution as per the institution's payment schedule uploaded by the student on the portal. The disbursement for reimbursement of 1st Semester institutional fees, where fees is to be paid on semester basis or 1st Year institutional fees, where fees is to be paid on yearly basis, shall be made on fulfilment of conditions prescribed in these Guidelines and after due verification made by the SECOND PART shall directly by made into the Bank Account provided while submission on application on the Web Portal by the THIRD PART.

(ii) मार्जिन मनी से मुक्त करने के संबंध में :-

इस योजना का उद्देश्य झारखंड़ के विद्यार्थियों को ₹15,00,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 4,00,000 से अधिक के ऋण पर विद्यार्थी को कुल ऋण राशि का 5% मार्जिन मनी के रूप में वहन करना पड़ता है। साथ ही यह भी प्रावधान है कि ऋण की किस्तों के वितरण के समय वर्ष-दर-वर्ष अनुपातिक आधार पर मार्जिन मनी जमा कराई जाएगी। मार्जिन मनी से संबंधित वर्तमान प्रावधान न केवल अभ्यर्थी को देय वास्तविक ऋण राशि को कम करते हैं, बल्कि अभिभावक एवं विद्यार्थी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी बढाते हैं। उल्लेखनीय है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे अग्रणी बैंक द्वारा अपनी SBI Scholar Loan Scheme के अंतर्गत बिना किसी मार्जिन मनी के 100% ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाती है।

अतः यह आवश्यक है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिये जाने वालेशिक्षा ऋण को मार्जिन मनी मुक्त किया जाए, जाकि विद्यार्थियों को अधिकतम संभव वित्तीय सहायता सुनिश्चित किया जा सके। अतः योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :-

Section	**Existing Provision**	**Revised Provision**
Chapter 1 Section 13 Margin Money	(i) Up to Rs. 4.00 Lakhs: NIL (ii) Above Rs. 4.00 Lakhs: 5% of the total sanctioned loan amount. (ii) Scholarship/Assistance ship to be included in Margin. (iv) Margin will be brought in on year to year basis as and when disbursements are made on a pro-rata basis in applicable cases.	No margin money shall be charged for loans up to Rs 15,00,000 under this scheme
Chapter 2 Section 4 Margin Money	(i) Up to Rs. 4.00 Lakhs: NIL (ii) Above Rs. 4.00 Lakhs: 5% of the total sanctioned loan amount. (iii) Scholarship/Assistance ship to be included in Margin. (iv) Margin will be brought in on year to year basis as and when disbursements are made on a pro-rata basis in applicable cases.	No margin money shall be charged for loans up to Rs 15,00,000 under this scheme

(iii) योजना के अंतर्गत संस्थानों की नई श्रेणी का समावेश :-

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत ऋण हेतु पात्र नहीं हैं। इनमें साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जैसे संस्थान शामिल हैं, जो अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए, इस प्रकार के संस्थानों की श्रेणी को योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। अतः योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :-

Section	Existing Provision	Revised Provision
Chapter 1, Section 5(ii)(b)	Further. thc student who has secured admission in any Of the following Higher Education Institution will also be considered eligible under the Scheme:- • All institutes Of National I mportance • All Institutions of Eminence as per UGC. • All Institutes Of Molel Management. Catering Techno!ogy and Applied Nutrition • All National Institutes of Fashion Technology (NIFT) • All National Institutes of Design (NID)	Further. the student who has secured admission in any of 'he following Higher Education Institution will also be considered eligible under the Scheme: - • All Institutes Of National Importance • All Institutions of Eminence as per UGC. • All Institutes of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition • All National Institutes Of Fashion Technology (NIH') • All National Institutes Of Design (NID) • MI Central Universities notified by Gorernmenr by India

6- विभागीय संकल्प संख्या-1607, दिनांक-14.10.2024 की कंडिका-4 (xiii) द्वारा योजना की मार्गदर्शिका में Schedule के रूप में संलग्न Agreements में विधि विभाग के परामर्श से संशोधन की शक्ति योजना की उच्च स्तरीय समिति को प्राप्त है। अतः उक्त प्रस्तावित संशोधन के स्वीकृति के उपरांत मार्गदर्शिका के Schedule के रूप में संलग्न Agreements में आवश्यक संशोधन विधि विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

7. विभागीय संकल्प संख्या-3/यो0 1-02/2022 (उ0शि0)-103/बजट, दिनांक-01.08.2023 के द्वारा निर्गत गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका (संकल्प संख्या-1607, दिनांक- 14.10.2024 द्वारा यथा संशोधित) को इस इद तक संशोधित समझा जाय। उकत

संशोधन वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होंगे। विस्तृत मार्गदर्शिका में संशोधन के उपरान्त संशोधित मार्गदर्शिका योजना के Web Portal पर योजना की उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदनपरान्त Upload की जाएगी।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-25.08.2026 में मद संख्या-44 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राहुल कुमार पुरवार
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 519 - 50